<u>राजस्थान सरकार</u>

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट–5/संस्था/बीमा/2019/ दिनांक : 05-03-2019

आदेश 680

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी. बी. सिविट रिट याचिका संख्या 1693/17 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार में पारित निर्णय की अनुपालना में जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में से निम्न वर्णित अभ्यर्थियों की नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या– 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र प.1(6)प्र0सु0/अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल 4 के तहत लेवल 5 में 14600/– (अक्षरे चौदह हजार छः सौ मात्र) स्थिर मासिक पारिश्रमिक की दर पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है। उक्त समस्त नियुक्तियों उपरोक्त वर्णित रिट/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

क्रम संख्या	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
1.	64	गोविन्द प्रसाद शर्मा	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	26.05.1993	GEN/M	सवाई माधोपुर
2.	236	कुलदीप सिंह	श्री जगन्नाथ सिंह	15.06.1994	GEN/M	भरतपुर
3.	748	विकास माकड़	श्री मनसा राम माकड़	02.04.1993	OBC/M	श्रीगंगानगर
4.	828	माला राम	श्री कनाराम	10.08.1993	OBC/M	बाड़मेर

1. उक्त नियुक्ति डी.बी स्पेशल रिट अपील संख्या– 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एंव अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ सहायक)के पद के पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार किया जा सकेगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में अवकाश इत्यादि राजस्थान सेवा नियमों के तहत ही देय होंगे।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सही है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना फर्जी, कूटरचित पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा इनके सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
11. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
12. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड द्वितीय(कनिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(आनंद स्वरूप)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट–5/संस्था/बीमा/2019/ 14277 - 97 दिनांक : 05-03-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प.1(6)प्र0सु0/अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, संभाग/जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र0सु0/अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 की प्रति भेजकर लेख है कि वे इसमें उल्लेखित शर्तों के सत्यापन के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/एपीएआर सैल, मुख्यालय, जयपुर।
8. सम्बन्धित कर्मचारी ।
9. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक
10. सेवा पुस्तिका लिपिक संबंधित कार्यालय, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/सिस्टम एनालिस्ट

5/3/19
(के0एम0 दूडिया)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।